प्रश्न–उत्तर

हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग,
शिमला–171009

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष बुनियादी पहलू

प्रश्न 1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष क्या है ?

उत्तर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु गठित किया गया है। इस कोष के अंतर्गत चुने हुये जिलों में विकास के लिये दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने तथा उससे समन्वित विकास करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रश्न 2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष किन उद्देश्यों को लेकर गठित किया गया है ?

उत्तर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष निम्न उद्देश्यों को लेकर गठित किया गया है –

1. स्थानीय आधारभूत ढाँचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं को जो अन्य किसी योजना के अंतर्गत पूरी नहीं हो रही है।
2. पंचायत और नगरीय निकायों की शासन व्यवस्था को क्षमतावान बनाना, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहभागितापूर्ण नियोजन, क्रियान्वयन में स्थानीय शासन ˙ निगरानी कर सके।
3. स्थानीय निकायों को नियोजन, क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में सहायता प्रदान करना।
4. स्थानीय निकायों को सौंपे गये कार्यो के निष्पादन में सुधार करना।

प्रश्न 3. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष किन राज्यों एवं जिलों में लागू होते हैं ?

उत्तर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष उन राज्यों और जिलों पर लागू होते हैं जो संविधान के खंड नौ के दायरे में आते हैं। हिमाचल प्रदेश सहित देश के 250 जिलों में यह योजना लागू है।

प्रश्न 4. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष हिमाचल के किन जिलों में लागू है ?

उत्तर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष हिमाचल के 2 जिलें चम्बा तथा सिरमौर में लागू है।

प्रश्न 5. समन्वित विकास की अवधारणा क्या है ?

उत्तर समन्वित विकास की शुरुआत तभी होगी जब प्रत्येक जिला नियोजन में विशेषज्ञों की सहायता लेकर पिछड़ेपन के कारणों को पता लगाने के लिये अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने के लिये योजना अवधि के दौरान सहभागितापूर्ण जिला विकास योजना तैयार करते हुये कार्यक्रम का नियोजन और क्रियान्वयन करें।

प्रश्न 6. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अतंर्गत पिछड़ेपन की समस्या से कैसे निपटा जायेगा ?

उत्तर इस योजना में संबंधित जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया जायेगा और इस तरह जिले को प्राप्त होने वाले अनेक संसाधन जुटाकर पिछड़ेपन की समस्या से निपटा जायेगा।

प्रश्न 7. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में क्या जनता की भागीदारी ली जा सकती है ?

उत्तर हाँ, इस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिये जिन कार्यक्रमों की पहचान की जाएगी उनका चयन जनता की भागीदारी से किया जाएगा।

जैसेः– ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं तथा शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा और वार्ड कमेटियों के माध्यम से/प्रत्येक पंचायत और नगरीय निकायों में सहभागिता वाली योजनायें बनायी जाएगी।

प्रश्न 8. पंचायतों और शहरी निकायों द्वारा तैयार की गई योजना को किसे भेजा जायेगा ?

उत्तर पंचायत और शहरी निकाय द्वारा सहभागिता से तैयार की गयी योजना को जिला नियोजन समिति को भेजा जाएगा, जिला नियोजन समिति अपनी जिला योजना में इसे सम्मिलित करेगी।

प्रश्न 9. जिला योजना बनाते समय क्या सभी वित्तीय संसाधनों को प्रदर्शित किया जायेगा ?

उत्तर हाँ, जिला योजना में उपलब्ध सभी वित्तीय संसाधनों को प्रदर्शित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करते हुये कि उनके इस्तेमाल में किसी तरह की देरी, दुरुपयोग और दोहरावट न हो तथा दूसरे कार्यो में इनका उपयोग न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रश्न 10. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से धन राशि किस प्रकार प्राप्त होगी ?

उत्तर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से धन राशि दो प्रकार से प्राप्त होगी –

1. 2.00 करोड़ रुपये वार्षिक क्षमता निर्माण निधि तथा पारदर्शिता में सुधार की क्षमता जुटाने में किया जायेगा।
2. प्रति वर्ष 28.50 करोड़ रुपये का अनुदान पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इन राशियों का आबंटन पारदर्शी मानदंडो के अनुसार होगा और वे इसका उपयोग समन्वित विकास की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने में करेंगे, जिनकी पहचान सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया के जरिये किया जाएगा।

प्रश्न 11. जिले के भीतर पंचायतों/शहरी निकायों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से धनराशि का आंतरिक आबंटन किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों को पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से धन के आबंटन के लिये निम्न सूत्र अनुमोदित किए गए हैं:–

1. जिले के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों में धनराशि का आवंटन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की आबादी के अनुपातमें किया जाएगा।
2 पंचायती राज संस्थाओं अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के मध्य धनराशि का आवंटन 50:30:20 के अनुपात में किया जाएगा।
3. यह ध्यान रखा जाए कि पंचायत समिति 5.00 लाख रूपये से कम तथा जिला परिषद 10.00 लाख रूपये से कम की स्कीमें स्वीकृत नहीं करेगी।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष नियोजन प्रक्रिया

प्रश्न 12. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिये नियोजन प्रक्रिया की ईकाई क्या है ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत संबंधित जिले के प्रत्येक पंचायत या नगरीय निकाय एक ईकाई होगी।

प्रश्न 13 पंचायतों एवं शहरी निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को कहाँ समन्वित किया जाएगा।

उत्तर पंचायतों एवं शहरी निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को जिला योजना में समन्वित किया जाएगा। यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 245 जेड डी के अनुसार गठित जिला नियोजन समिति द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न 14 जिला योजना में उपेक्षित समूहों (अनुसूचित जातियों/जनजातियों) के लिये व्यय के क्या प्रावधान किये गये हैं ?

उत्तर योजना आयोग के दिशानिर्देशों में की गयी ''परिकल्पना'' के अनुसार जिला योजना को समन्वित करते समय अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

नियोजन, क्रियान्वयन में निकायों की क्षमता का विकास

प्रश्न 15 इस योजना के तहत स्थानीय निकायों की क्षमता का विकास किस प्रकार किया जाएगा ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु दिशानिर्देश के अनुबंध–3 के अनुसार एक ढाँचा विकसित किया जाएगा। ताकि अल्प समय में सुनिश्चित परिणाम प्राप्त हो सके।

प्रश्न 16 क्या पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को कारगर तरीके से लागू करने के लिए इसके सभी लाभार्थियों की क्षमता का निरंतर विकास करना होगा।

उत्तर हाँ, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को कारगर तरीके से लागू करने के लिए इसके सभी लाभार्थियों की क्षमता का निरंतर विकास करना होगा।

प्रश्न 17 क्षमता विकास हेतु राज्य को धनराशि का आबंटन किस प्रकार होगा ?

उत्तर क्षमता विकास हेतु राज्य को धनराशि का आबंटन राज्य में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में शामिल जिलों की संख्या के अनुसार प्रति जिला एक करोड़ रूपए की दर से आबंटित किया जाएगा।

प्रश्न 18 क्या क्षमता विकास हेतु जिले की विकास अनुदान से भी धनराशि ली जा सकती है ?

उत्तर हाँ, क्षमता निर्माण के कुछ पहलुओं के लिए जिलें के विकास अनुदान से धनराशि ली जा सकती है। जैसा की दिशानिर्देश की सारणी 1 में दिया गया हैं।

प्रश्न 19. नियोजन और क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त संख्या में पंचायत, कर्मियों की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ?

उत्तर नियोजन और क्रियान्वयन के लिये पंचायत और शहरी निकाय द्वारा कर्मियों की संख्या निम्नलिखित अनुसार की जा सकती है :–

1. इस राशि का उपयोग पंचायतों और शहरी निकायों द्वारा मौजूदा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में नहीं किया जायेगा।
2. इस सुविधा का उपयोग जहाँ कहीं भी कमी हो वहाँ जरुरी कर्मचारियों के लिये ही किया जायेगा।
3. पंचायतें और शहरी निकाय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि से कर्मचारी नियुक्त करेंगे।
4. पंचायतें एवं नगरीय निकाय धीरे–धीरे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान खुद करने के साथ–साथ वित्तीय अंतरण जैसे राज्य

और केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान के इस्तेमाल या कमी पूरी करने के लिये अपने राजस्व का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रश्न 20. नियोजन और क्रियान्वयन के लिये तकनीकी सहायता का प्रावधान क्या है ?

उत्तर सभी पंचायतों और शहरी निकायों में विकास संबंधी विभागों और / या विशेषज्ञों के समेकित स्टाफ की मदद लेकर विस्तार या संसाधन केन्द्र की स्थापना जिसका लाभ आवश्यकता पड़ने पर सभी पंचायत समितियों या उससे निचले स्तर पर उठाया जा सके।

प्रश्न 21. पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया में मदद के लिये बाहरी अतिथि वक्ताओं की क्या सेवा लिया जा सकती है ?

उत्तर हाँ, बाहरी स्त्रोत (आउटर्सोसिंग) के माध्यम से पेशेवर अनुभवी विशेषज्ञों की सेवायें ली जा सकती है।

प्रश्न 22. क्या इस योजना के अंतर्गत टेलीफोन, बिजली आपूर्ति और ई–मेल जहाँ भी आवश्यक हो कार्यालय संबंधी आधारभूत ढाँचा उपलब्ध किया जा सकता है ?

उत्तर हाँ, पंचायतों के काम काज के संचालन के लिये भौतिक बुनियादी ढाँचा इस शर्त के साथ लागत का 30 प्रतिशत अन्य स्त्रोतों से जुटाया जायेगा।

प्रश्न 23 क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण का उद्‌देश्य क्या होगा ?

उत्तर क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण के उद्‌देश्य निम्न हैं –

1. सभी पंचायतों और शहरी निकायों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की जानकारी और कौशल में सुधार ताकि वे अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभा सकें।
2. ग्राम सभाओं के काम काज में सुधार।
3. सहायता समूहों और सीबीओ जैसे दबाव समूह को सक्षम बनाना ताकि वे अधिक उद्‌देश्य पूर्ण तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकें।
4. पंचायतों को सौंपे गए कार्यों से जुड़े कर्मियों को जो उनके अधीन या उनके निकट संपर्क में कार्य कर रहे हैं प्रारंभिक जानकारी देना ताकि वे विकेन्द्रीकृत कार्यों को करने में पंचायतों की सहायता कर सकें।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान विकास निधि

प्रश्न 24. इस योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर संविधान के भाग नौ और नौ (क) के अनुसार गठित पंचायतें, शहरी निकाय और जिला पंचायत कार्यक्रम के प्रबंधन का दायित्व परू करेंगी। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये पंचायत या शहरी निकाय किसी भी स्तर पर विशेष संगठन, प्रबंधन समितियाँ आदि नहीं बनायेगी।

कार्यों का क्रियान्वयन पंचायतों और शहरी निकायों द्वारा उचित स्तर पर संबंधित गतिविधियों के मापन के माध्यम से किया जायेगा। यदि पंचायत के उच्चतर स्तर की कोई संस्था जैसे जिला या पंचायत समिति निर्धारित सीमा से कम लागत का कोई कार्य मंजूर करती है तो वह इसके लिये आबंटित की जाने वाली धनराशि क्रियान्वयन के लिये संबंधित ग्राम पंचायत को दे दी जायेगी।

अगर कार्य पंचायत या शहरी निकाय के दायरे से बाहर है तो जिला पंचायत समिति क्रियान्वयन करने वाले विभाग / एजेन्सी का फैसला कर सकती है और उसके माध्यम से काम करा सकती है।

प्रश्न 25. नोडल विभाग के क्या कार्य होगें ?

उत्तर नोडल विभाग पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष में शामिल जिलों की सभी पंचायतों का कंप्यूटरीकरण आँकड़ा तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा, जिसमें पंचायतों के उन बैंक खातों का भी आँकड़ा शामिल होगा, जिसमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से प्राप्त होने वाली विकास सहायता जमा करायी जायेगी। इस प्रकोष्ठ में प्रत्येक पंचायत से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भी रखा जायेगा।

प्रश्न 26. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष विकास निधि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अतंर्गत जारी विकास सहायता राशि का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने के बावजूद भी रह गये अंतर को दूर करने के लिये किया जाएगा। पंचायतें एवं शहरी निकाय इस धन राशि का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची के अनुसार उन्हें सौंपे गये किसी भी कार्य के लिये कर सकते हैं।

प्रश्न 27 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष विकास निधि का उपयोग किन कार्यो में नहीं किया जायेगा ?

उत्तर इस धनराशि का उपयोग धार्मिक स्थलों या ऐसे स्थलों के परिसर में इमारतों के निर्माण, स्वागत द्वार बनाने या फिर किसी व्यक्ति अथवा परिवार को सहायता देने में नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 28. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष प्रस्ताव किस प्रकार तैयार किया जायें ?

उत्तर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न विवरण दिया जाना चाहिये –

1. किसी जिले में जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तरों पर और शहरी निकायों में नगर निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत को धनराशि के आबंटन के मापदंड जिनमें जिले के विकास की परिकल्पना के साथ–साथ विकास लक्ष्यों की प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हो।
2. विभिन्न स्तोत्रों से जिले को प्राप्त होने वाली धनराशि के उपयोग का विवरण।
3. पंचायती राज और शहरी निकाय संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिये पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने की दिशा में राज्य द्वारा उठाये गये कदमों के साथ–साथ योजना के लिये स्थानीय निकायों द्वारा खुद जुटाये जाने वाले संसाधन।
4. पंचायतों को व्यापक प्रशासनिक और तकनीकी सहायता देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम।

प्रश्न 29. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अतंर्गत धन राशि किस प्रकार निर्मित की जायेगी ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत सभी धनराशियों को राज्य सरकार की समेकित निधि में दिया जायेगा। जिन धनराशियों को पंचायतों और शहरी निकायों को दिया जाना है उन्हें उनके बैंक खातों में जमाकर दिया जाएगा। इसके लिये उन्हीं शर्तो का पालन करना होगा जो 12वें वित्त आयोग अनुदान के लिये निर्धारित की है यानी समेकित निधि में धन राशि के जारी होने के 15 दिन के भीतर राज्य के स्तर से धनराशियों को सीधे संबंधित पंचायतों या शहरी निकायों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा।

प्रश्न 30. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अतंर्गत क्या अलग बैंक खाता खोलना होगा ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत पंचायतों द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष की धन राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक घर में रखा जाएगा। यह वांछनीय

नहीं है कि इस योजना के लिये अलग से एक बैंक खाता खोला जाये। शर्त यह है कि इस स्कीम के लिये एक अलग से कैश बुक रखी जाये।

प्रश्न 31. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत जमा राशियों पर अर्जित ब्याज का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की रकम को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन माना जायेगा। इसका उपयोग कार्यकम के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न 32. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत खातें से धन राशि का आहरण किस प्रकार होगा ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत पंचायतों और शहरी निकायों द्वारा धनराशि का आहरण पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये लेखा और वित्तीय नियमों में बताये वर्तमान तरीके से होगा। कार्यपालक एजेन्सी द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के लिये भुगतान हेतु खाते से धन राशि की निकासी चैक के माध्यम से की जायेगी। किसी अन्य कार्य के लिये धन राशि की निकासी की इजाजत नहीं होगी।

प्रश्न 33. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत खातों का रख रखाव किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत और शहरी निकाय उस आबंटित धन राशि के खातों के रख रखाव के लिये स्वयं जिम्मेदार होगी। पंचायतों के इन खातों को जिला पंचायत द्वारा समेकित किया जा सकता है और इनकी लेखा परीक्षा करायी जा सकती है। इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी कार्यपालक एजेन्सी जिसे कोई धन राशि सौंपी गयी है, अलग से लेखा जोखा रखेगी जिसे लेखा परीक्षा के लिये भेजा जायेगा।

प्रश्न 34. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत लेखा परीक्षा का कार्य किस प्रकार किया जाएगा ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत हर जिले में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किये गये कार्यों की नियमित रूप से भौतिक और वित्तीय लेखा परीक्षा करायी जायेगी। लेखा परीक्षा राज्य सरकार या राज्य के महालेखाकार द्वारा सूचिबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कराई जायेगा। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग की लेखा परीक्षा एजैन्सी भी इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का लेखा परीक्षा करेगी।

प्रश्न 35. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत क्या जिला स्तर पर जिला समीक्षा समितियाँ गठित की जायेगी ?

उत्तर हाँ, इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर अध्यक्ष, पंचायत, अध्यक्ष और शहरी निकायों के अध्यक्ष बारी बारी से इस समिति के अध्यक्ष होंगे, समिति में कुछ सदस्य होगें जिनकी संख्या 8–10 से अधिक नहीं होगी।

प्रश्न 36. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अतंर्गत किये गये कार्यो का निरीक्षण किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत किये गये कार्यो के निरीक्षण के लिये गुणवत्ता निगरानी प्रणाली कायम की जायेगी। प्रणाली के कार्यनिष्पादन की उच्च स्तरीय समिति द्वारा नियमित रुप से समीक्षा की जायेगी।

प्रश्न 37. क्या निचले स्तर (ग्राम स्तर) पर भी सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता होगी ?

उत्तर इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम या वार्ड सभाओं और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय सभाओं और वार्ड समितियों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश राज्य द्वारा जारी किये जा सकते हैं।

प्रश्न 38. क्या प्रत्येक पंचायत सभी योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित करेगी ?

उत्तर हाँ, प्रत्येक पंचायत अभी तक अनुमोदित सभी योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित करेंगी साथ ही योजनाओं को शुरु करने की /पूरा करने की संभावित तारीख भी बतायेंगी।

पंचायत स्तर पर भागीदारी पूर्ण नियोजन

प्रश्न 39. ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारीपूर्ण नियोजन किस प्रकार किया जायें ?

उत्तर ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारीपूर्ण नियोजन के लिये ग्राम सभाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा, ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत के दायरे में आंने वाले सभी लोगों को सम्मिलित करना होगा, साथ ही जमीनी स्तर पर परामर्श प्रणाली शुरु करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का ग्राम सभा में उचित प्रतिनिधित्व हो।

प्रश्न 40. ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के क्या उपाय किये जा सकते हैं ?

उत्तर ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्न उपाय किये जा सकते हैं :–

1. पंचायतों द्वारा बैठकों की तारीख को पहले से तय किया जाये।
2. ग्राम सभा और वार्ड सभाओं का महत्व समझाते हुये जागरुकता अभियान चलाना।
3. वार्ड और ग्राम सभा के बारे में सूचना गैर सरकारी संगठनों, पुस्तकालयों, स्कूलों, आँगनबाडियों, पटवारियों, महिला एवं पुरूष स्वास्थ्यकर्ताओं और क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों के माध्यम से दी जाये।
4. वार्ड सदस्य तथा पंचायत चौकीदार के माध्यम से घर–घर जाकर ग्राम सभा के महत्व को बताया जाये।
5. ग्राम और वार्ड सभा के लिये एक उपयुक्त स्थान का चयन किया जाये ताकि चर्चा के लिये छोटे समूह को बताया जा सके।
6. ग्राम सभा की बैठकों का रिकार्ड जैसे हाजरी, रजिस्टर, ब्यौरा, फोटोग्राफ जहाँ कही संभव हो को सही ढंग से रखना चाहिये।
7. यदि सम्भव हो तो ग्राम सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाए।

प्रश्न 41. भागीदारी पूर्ण नागरिक सर्वेक्षण क्या है ?

उत्तर भागीदारीपूर्ण नागरिक सर्वेक्षण नियोजन की एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के विचार को अंकित करते हुये योजना का निर्माण किया जावे।

प्रश्न 42. ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों को किस प्रकार बढ़ा या जायें ?

उत्तर ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों को निम्न आधारों पर बढ़ाया जाना चाहिये :–

1. करों और अंशदानों के जरिये स्थानीय संसाधन बढाना।
2. उपकर, सामूहिक अंशदान और उधार के जरिये वित्त पोषण के उपाय करना।
3. सरकार से प्राप्त निधियों को गैर महत्वपूर्ण प्रवाह के स्थानीय उपाय के माध्यम से बढावा देना।

प्रश्न 43. ग्राम पंचायत स्तर पर आँकडों को प्राप्त करने में क्या सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है ?

उत्तर हाँ, ग्राम पंचायत स्तर पर आँकडों को प्राप्त करने में सूचना प्रौधौगिकी का प्रयोग एक माध्यम के रुप में किया जा सकता है। जो ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढायेगी।

प्रश्न 44. अच्छे शासन के लिये क्या घरेलू योजना भी इस योजना में सम्मिलित हो सकती है ?

उत्तर हाँ, एक घरेलू योजना भी इस योजना प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है।

प्रश्न 45. घरेलू योजना के अंतर्गत किन बातों को प्राथमिकता दी जा सकती है ?

उत्तर घरेलू योजना के अंतर्गत निम्न बातों को प्राथमिकता दी जा सकती है :–

1. रिकार्डो को सुचारु रुप से बढ़ाना।
2. परिसम्पत्ति रजिस्टर को पूरा करना।
3. अपव्यय को कम करने के उपाय करना।
4. कार्य निष्पादन मानक निर्धारित करना।
5. कार्य निष्पादन में सुधार लाने के अन्य उपाय करना।

प्रश्न 46. क्या ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों के आबंटन में स्वतंत्र होगी ?

उत्तर हाँ, पंचायतें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ससांधनों के आबंटन के लिये स्वतंत्र होंगी, सार्थक संसाधन पूरा इस्तेमाल करने हेतु प्रयास भी उनके द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न 47 पंचायतों द्वारा उपलब्ध संसाधनों को किस क्रम में रख जाये ?

उत्तर पंचायतों द्वारा उपलब्ध संसाधन को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है जैसे की प्रथम पूरी तरह से मुक्त निधियाँ द्वितीय आंशिक रुप से मुक्त निधियॉ, तृतीय निर्धारित निधियाँ।

प्रश्न 48 ग्राम पंचायत स्तर पर योजना का सामान्य प्रपत्र क्या होगा ?

उत्तर ग्राम पंचायत स्तर पर योजना का सामान्य प्रपत्र निम्न आधार पर तैयार किया जायेगा :–

1. योजना का उद्देश्य
2. नागरिकों की रुपरेखा
3. प्राकृतिक संसाधन और ढाँचागत रुपरेखा
4. वित्तीय संसाधन रुपरेखा
5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
6. स्त्री–पुरुष समानता कार्यक्रम
7. आदिवासी विकास कार्यक्रम
8. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
9. निगरानी और मूल्यांकन
10. स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य मानक

प्रश्न 49. योजना के सम्बन्ध में पंचायत समिति का कार्य क्या होगा ?

उत्तर योजना के सम्बन्ध में पंचायत समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. पंचवर्षीय और वार्षिक योजनायें तैयार करना, जिसमें ग्रामीण पंचायत की समस्या शामिल हो तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा तैयार की गई योजना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र से बाहर के कार्यो की जानकारी प्राप्त करना जैसे अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण और बहु–पंचायत सिंचाई ढाँचे को पंचायत समिति योजनाओं में शामिल करना।
3. योजना के सुचारु संचालन में ग्राम पंचायतों की सहायता करने के लिये तकनीकी दलों का व्यवस्थापन करना।

प्रश्न 50. योजना के सम्बन्ध में जिला पंचायत का कार्य क्या होगा ?

उत्तर योजना के सम्बन्ध में जिला पंचायत अपने निचले स्तर पर तैयार की गई योजनाओं में समन्वय, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 51. ग्राम पंचायत स्तर पर योजना का सामान्य प्रपत्र क्या होगा ?

उत्तर ग्राम पंचायत स्तर पर योजना ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत सदस्यों की समझ में आये इसके लिये निम्न आधार पर ढाँचा तैयार किया जा सकता है :–

1. ग्राम विजन
2. नागरिकों की रुपरेखा

3. प्राकृतिक संसाधनों की रुपरेखा
4. वित्तीय संसाधन की रुपरेखा
5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
6. स्त्री पुरुष समानता कार्यक्रम
7. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
8. निगरानी और मूल्यांकन
9. स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य मानक

प्रश्न 52. योजना के संन्दर्भ में जिला परिषद की क्या भूमिका होगी ?

उत्तर योजना के संन्दर्भ में जिला परिषद की यह जिम्मेदारी है, कि वह जिले के पिछड़े क्षेत्रों के समान विकास की व्यवस्था करने के साथ ही निचले स्तर पर योजना में समन्वय, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करे।

प्रश्न 53. जिला परिषद को अपनी कार्ययोजना बनाते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा ?

उत्तर जिला परिषद को अपनी कार्ययोजना बनाते समय अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, उप–योजनाओं और स्त्री पुरुष मुद्‌दों को विशेष रुप में ध्यान देना होगा।

प्रश्न 54. क्या कृषि एवं वन भूमि, ऋण,आजीविका प्रबंध एवं प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित मुद्‌दों को जिला परिषद योजना में विचार किया जायेगा ?

उत्तर हाँ, ये सभी मुद्‌दे जिले के सम्पूर्ण विकास के लिये महत्वपूर्ण है। हालांकि इनमें से सभी को स्पष्ट रुप से जिला स्तर पर नहीं निपटाया जा सकता, फिर भी इस योजना के अंतर्गत ऐसे उपाय किये जा सकते है, जिससे जनता का हित सुरक्षित रहे।

जिला योजना समिति

प्रश्न 55. जिला योजना समिति क्या है ?

उत्तर जिला योजना समिति पंचायतों एवं शहरी निकायों द्वारा तैयार की गयी विकास कार्यो के आधार पर सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारुप तैयार करना है।

प्रश्न 56. क्या जिला योजना समिति प्रत्येक जिले में होगी ?

उत्तर हाँ, जिला येाजना समिति प्रत्येक जिले में होगी।

प्रश्न 57 जिला योजना समिति द्वारा विकास योजना का प्रारुप तैयार करते समय किन–किन बातों को ध्यान में रखना होगा ?

उत्तर विकास योजना का प्रारुप तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा :–

1. पंचायतों एवं शहरी निकायों के बीच समन्वय
2. उपलब्ध संसाधनों की पहचान

प्रश्न 58 जिला योजना समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी ?

उत्तर जिला योजना समिति में भिन्न–भिन्न जिलों में 15 से 25 सदस्य होंगे।

प्रश्न 59. जिला योजना समिति में कुल सदस्यों में कितने सदस्य निर्वाचित जन प्रतिनिधि होंगे ?

उत्तर जिला योजना समिति में कुल संख्या के 4/5 सदस्य पंचायत तथा शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर रखा जायेगा।

प्रश्न 60. जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होगा ?

उत्तर जिला योजना समिति का अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश का एक मंत्री जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया गया है।

प्रश्न 61. जिला योजना समिति का सदस्य सचिव कौन होगा ?

उत्तर जिला योजना समिति का सदस्य सचिव संबंधित जिले का जिलाधीश होगा।

प्रश्न 62. जिला योजना समिति क्या अपनी सभा में विशेष आमंत्रित व्यक्ति को बुला सकती है ?

उत्तर हाँ, जिला योजना समिति अपनी सभा में जिले के राज्य विधान सभा के सदस्यों तथा विभागीय अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में बुला सकती है।

प्रश्न 63. जिला योजना समिति में निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता अवधि कब तक होगी ?

उत्तर जिला योजना समिति में निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता अवधि उनके पंचायतों एवं शहरी निकायों के कार्यकाल तक होगी।

प्रश्न 64. जिला योजना समिति की बैठक की तारीख का निर्धारण कौन करेगा ?

उत्तर जिला योजना समिति की बैठक की तारीख का निर्धारण अध्यक्ष की सहमति से सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।